



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024
(2 श्रावण, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 37/के०अ० 35/2019/घा० 102/2024, दिनांक 24 जुलाई, 2024— हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024.	153—158
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 38/के०अ० 35/2019/घा० 102/2024, दिनांक 24 जुलाई, 2024— जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024.	159—162
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जुलाई, 2024

संख्या का०आ० 37/के०अ० 35/2019/धा० 102/2024.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35);
(ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष;
(ग) 'राज्य परिषद्' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिषद्, की स्थापना करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:— राज्य परिषद् की संरचना।
(क) राज्य सरकार में खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री, राज्य परिषद् का अध्यक्ष होगा; राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक उपाध्यक्ष होगा,
(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग—सदस्य
(ग) सचिव/विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग—सदस्य सचिव,
(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा—सदस्य,
(ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा—सदस्य,
(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्य—गैर सरकारी सदस्य, जो दस से अधिक न हो,
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के किन्ही अन्य विभागों/निकायों के तीन प्रतिनिधि—सदस्य,
(ज) राज्य उपभोक्ता—विवाद निवारण आयोग, हरियाणा, पंचकुला का सचिव—सदस्य,
(झ) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, शिक्षाविदों, किसानों, व्यापार या उद्योग में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच से अनधिक गैर—सरकारी सदस्य, जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों,

- राज्य परिषद् का कार्यकाल।
4. राज्य परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा:
परन्तु राज्य परिषद् तीन मास की और अवधि अथवा इसका पुर्नगठन किए जाने तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।
- राज्य परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों का त्याग-पत्र।
5. कोई भी गैर-सरकारी सदस्य, राज्य परिषद् से अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए स्व-हस्ताक्षरित लिखित में नोटिस देते हुए, त्याग-पत्र दे सकता है।
- गैर सरकारी सदस्यों के त्याग-पत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति।
6. (1) नियम 5 के अधीन किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्याग-पत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा गैर-सरकारी सदस्य के समरूप प्रवर्ग से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
(2) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्याग-पत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक पद पर बना रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर बना रहने का हकदार था।
- कार्य समूह।
7. (1) अधिनियम के अधीन कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन हेतु, राज्य परिषद् इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जो यह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करेगा, जो राज्य परिषद् द्वारा इसे सौंपे जाए।
(2) राज्य परिषद् प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित ऐसे कार्य सौंपेगी, जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें वह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।
(3) कार्य समूह, अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षों को राज्य परिषद् के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
(5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।
- कार्य संचालन के लिए राज्य परिषद् की बैठकें।
8. (1) राज्य परिषद् की बैठकें साधारणतया चण्डीगढ़ में आयोजित की जाएंगी:
परन्तु राज्य परिषद् जब अध्यक्ष का यह मत हो कि ऐसा करना उपयुक्त है, राज्य में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है।
(2) राज्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
(3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में, राज्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता इस प्रयोजनार्थ चुने गए राज्य परिषद् के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
(4) राज्य परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तिथि से कम-से-कम दस दिन पहले डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित में नोटिस देते हुए बुलाई जा सकती है।
(5) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के नोटिस में बैठक का समय, तिथि और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।
(6) राज्य परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के सिवाय, चर्चा नहीं की जाएगी।
(7) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त का मसौदा यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
(8) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को आगामी बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।
(9) किसी रिक्ति के होने अथवा राज्य परिषद् के गठन में किसी दोष के होने मात्र से राज्य परिषद् की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहराई जाएगी।

9. (1) राज्य परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य, राज्य परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतु, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में यथा विहित ग्रेड-III में हरियाणा सरकार के श्रेणी-I के अधिकारी को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (2) राज्य परिषद् के सभी सरकारी सदस्य, राज्य परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतु हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के अनुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मूल विभाग से प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा, राज्य परिषद् के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अधीन होगा कि वह राज्य परिषद् अथवा इसके किसी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT****Notification**

The 24th July, 2024

No. S.O. 37/C.A. 35/2019/S.102/2024.— In exercise of the powers conferred by section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

- | | |
|-------------------------------|--|
| Short title and commencement. | <p>1. (1) These rules may be called the State Consumer Protection Council Rules, 2024.</p> <p>(2) They shall come into force with effect from the dated of their publication in the official gazette.</p> |
| Definitions. | <p>2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) “Act” means the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019);</p> <p>(b) “Chairperson” means the Chairperson of the State Council;</p> <p>(c) “State Council” means the Haryana State Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 6 of the Act;</p> <p>(2) The words and expressions used herein, but not defined, and defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.</p> |
| Composition of State Council. | <p>3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish the State Council which shall consist of the following members namely;</p> <p>(a) the Minister in-charge of Consumer Affairs in the State Government who shall be the Chairperson of the State Council; a Vice Chairman to be nominated by the State Government;</p> <p>(b) the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department-member.</p> <p>(c) Secretary/Special Secretary to Government, Haryana, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department- Member-Secretary;</p> <p>(d) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government Haryana, Development and Panchayat Department, Haryana-member;</p> <p>(e) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department-Member;</p> <p>(f) Other official or non-official members, not exceeding ten shall be nominated by the Central Government.</p> <p>(g) Three representatives of any other departments/ bodies of the State Government to be nominated by the State Government-Member;</p> <p>(h) Secretary of State Consumer Disputes Redressal Commission, Haryana, Panchkula- Member;</p> <p>(i) Non-official members not exceeding five to be nominated by the State Government. who have specialization and proven expertise and experience in representing consumer interests, drawn from amongst consumer organizations, consumer activists, research and training organizations, academicians, farmers, trade or industry.</p> |
| Term of State Council. | <p>4. The term of the State Council shall be three years:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the State Council shall continue to function for a further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.</p> |

5. Non-official member may, resign by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the State Council. Resignation of Non-Official members of State Council.
6. (1) A vacancy caused by the resignation of any non-official member under rule 5 shall be filled by a fresh appointment from the same category of non-official member by the State Government. Vacancy caused by resignation of any Non-Official Member.
- (2) The person appointed to fill the vacancy caused by the resignation of a non-official member under rule 5 shall hold office only for the period of time that the original non-official member would have been entitled to hold office had the vacancy not occurred.
7. (1) The State Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary for the purposes of performing functions under the Act and every working group so constituted shall perform such task as are assigned. Working groups.
- (2) The State Council shall entrust to each working group clearly defined tasks which are specified through terms of reference, and which shall also include the time-period within which such task are to be completed.
- (3) The working groups shall report to the Chairperson.
- (4) The findings of each working group shall be placed before the State Council for its consideration.
- (5) The working group shall cease to function on the completion of the task for which it was constituted.
8. (1) The meetings of the State Council shall ordinarily be held at Chandigarh; Meetings of State Council for transaction of business.
provided that the Council may also hold its meeting at any other place in State, wherever in the opinion of the/Chairperson, it is expedient to do so.
- (2) The Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson shall preside over the meetings of the State Council.
- (3) In the absence of both the Chairperson /Vice-Chairperson, the meetings of the State Council shall be presided over by a member of the State Council elected for this purpose.
- (4) A meeting of the State Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member at least ten days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication.
- (5) The notice of every meeting of the State Council shall intimate the time, date, and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.
- (6) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the State Council except with the permission of the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member presiding over the meeting, as the case may be.
- (7) The draft minutes of each meeting of the State Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusion of each meeting and the same shall be submitted to the Chairperson or the Vice-Chairperson or to the member who presided over the meeting for his approval.
- (8) The draft minutes of each meeting of the State Council approved by the Chairperson or the Vice-Chairperson or the member who presided over this meeting shall be forwarded to each member of the State Council as soon as possible for adoption at the next meeting.
- (9) No proceedings of the State Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the State Council.

Reimbursement
of expenses and
sitting fees.

9. (1) Non-official members of the State Council shall be entitled to avail the Travelling Allowance/Dearness Allowance as per Haryana Civil Services (Travelling Allowances) Rules, 2016 as applicable to the Class-I Officer of the Haryana Government in Grade-III for the purpose of attending meetings of the State Council or the working groups;

(2) All official members shall be entitled to avail the Travelling Allowance/Dearness Allowance as per Haryana Civil Services (Travelling Allowances) Rules, 2016 from the parent Department for the purpose of the attending meeting of the State Council or the working groups.

(3) Every claim made under sub-rule (1) shall be subject to the member of the State Council certifying that he shall not claim any benefit from any other Department or Organization of the State Government during his visit for the purpose of attending the meeting of the State Council or any of its working groups.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.